डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक 998 / फा0सं0–419 / अधि0नामित / स्था0 / DSMNRU / 2021–22 दिनाँक :15 सितम्बर, 2021

// कार्यालय आदेश //

विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 के अध्याय–5 में संकायों के संकायाध्यक्ष सम्बन्धी धारा 5.01 से 5.04 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत एवं मा0 कार्य परिषद की 34वीं बैठक दिनांक 02.09.2021 के कार्यवृत्त पत्रांक 938 / फा0सं0–36(षष्ठम) / डीएसएमएनआरयू / कार्य परिषद / 2021–22, दिनांक 08.09.2021 के बिन्दु सं0–9 / 34(ख) एवं (ग) पर प्रदत्त अनुमोदन के अनुपालन में विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों के सुचारू संचालन, शिक्षकवृन्द एवं विद्यार्थियों की दैनिक आवश्यकताओं के त्वरित निस्तारण तथा विश्वविद्यालय प्रांगण में शैक्षिक अनुशासन बनाये रखने के लिए विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में कार्यरत् शिक्षकवृन्द को तालिका में नाम के सम्मुख रक्षित निम्नानुसार संकायाध्यक्ष यथावत् अग्रिम आदेशों तक नियुक्त किये जाने का निदेश हुआ है :–

क्रम सं0	संकाय का नाम	नियुक्त / नामित संकायाध्यक्ष
1.	विधि संकाय	प्रो0 शेफाली यादव, प्रोफेसर (विधि)
2.	विशेष शिक्षा संकाय	डॉ0 विनोद कुमार सिंह, प्रोफेसर (अंग्रेजी)
3.	वाणिज्य संकाय	डॉ0 नागेन्द्र यादव, प्रोफेसर, (प्रबन्धशास्त्र)

उक्त शिक्षकवृन्द अपने कार्यों के साथ–साथ संकाय के संकायाध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित कार्यों का भी निष्पादन करेंगे–

1. संकाय के अधीन शिक्षकवृन्द के मध्य अनुशासन स्थापित करना।
2. संकाय के शिक्षकवृन्द की दैनिक आवश्यकताओं के सुनियोजित प्रतिपूर्ति हेतु समन्वय स्थापित करना।
3. कुलपति महोदय अथवा उच्च स्तर से सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करना।

उपरोक्त पद पर कार्य हेतु कोई विशेष वेतन अथवा अन्य भत्ता देय नहीं होगा। यह आदेश क्रम सं0–01 पर नामित संकायाध्यक्ष हेतु दिनांक 08.04.2021 से तथा क्रम सं0–02 एवं 03 पर नामित संकायाध्यक्ष हेतु तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मा0 कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. समस्त संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
4. कुलानुशासक / परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. सम्बन्धित आचार्य, विश्वविद्यालय।
7. सम्बन्धित संकाय के समस्त शिक्षकवृन्द।
8. समस्त अधिकारीगण।
9. विश्वविद्यालय की वेबसाइट हेतु।
10. सम्बन्धित की व्यक्तिगत् पत्रावली हेतु।
11. गार्ड फाइल।

(बृजेन्द्र सिंह)
सहायक कुलसचिव